

अंशदाता के भविष्य निधि खाते में जमा राशि के अन्तिम भुगतान के लिए
अवेदन का फार्म । नामित द्वारा प्रयुक्त किया जाए अथवा अन्य दावे जिसमें
कोई नामांकन नहीं किया गया है ।

सेवा में,

महोदय,

यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया श्री के सामान्य भविष्य
निधि खाता संख्या में संचित राशि का भुगतान किया जाए । इस संबंध
में अपेक्षित आवश्यक विवरण नीचे दिए गए हैं :-

1. सरकारी कर्मचारी का नाम
2. जन्म तिथि
3. सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित पद
4. मृत्यु की तिथि
5. म्यूनिसिपल प्राधिकारियों आदि द्वारा जारी
मृत्यु प्रमाण पत्र फार्म में मृत्यु का प्रुफ
यदि उपलब्ध है ।
6. अंशदाता को आर्बिट्रित भविष्य निधि खाता संख्या
7. यदि जानकारी हो तो, उसकी मृत्यु के समय अंशदाता
के क्रेडिट में जमा भविष्य निधि रकम की राशि
8. यदि नामांकन जारी रखा गया है तो अंशदाता की
मृत्यु की तिथि को जीवित नामितों का विवरण

नामिति का नाम

अंशदाता के साथ

नामिति का हिस्सा

संबंध

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

यदि परिवार के सदस्य की जगह नामांकन किसी एक व्यक्ति के पक्ष में किया गया है
और अंशदाता तदनन्तर परिवार प्राप्त करता है तो परिवार का विवरण ।

नाम	अंशदाता के साथ संबंध	व्यक्ति की आयु मृत्यु की तिथि
-----	-------------------------	----------------------------------

1.

2.

3.

10. यदि की भी प्रकार का नामांकन नहीं किया गया है तो अंशदाता की मृत्यु की तिथि को परिवार के जीवित सदस्यों का विवरण पुत्री अथवा अंशदाता की मृत्यु से पूर्व अंशदाता के मृतक पुत्र की विवाहित पुत्री के मामले में उसके नाम के सामने इसका उल्लेख होना चाहिए कि क्या अंशदाता की तिथि को उसका पति जीवित था ।

नाम	अंशदाता के साथ संबंध	मृत्यु की तिथि को आयु
-----	----------------------	--------------------------

1.

2.

3.

11. नाबालिग बच्चे को देय राशि के मामले में जिसकी माता (अंशदाता की विधवा) हिन्दु नहीं है, ऐसे दावे के समर्थन में पहचान बन्ध पत्र अथवा संरक्षक - प्रमाण पत्र होना चाहिए या जैसा भी मामला हो ।

12. यदि अंशदाता ने अपने पीछे परिवार नहीं छोड़ा है और कोई नामांकन नहीं किया है तो उन व्यक्तियों के नाम जिनकी भविष्य निधि की रकम देय है (प्रमाण पत्र आदि में अंशदाता की प्रमाणित इच्छा पत्र के पत्र द्वारा समर्थन किया जाए)।

नाम	अंशदाता से संबंध	पता
-----	------------------	-----

1.

2.

3.

13. दावेदार (दावेदारों) का धर्म

14. भुगतान

कार्यालय के माध्यम से/कोष

के

माध्यम से अपेक्षित है।

इस संबंध में सर्विस में राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है।

1. पहचान हेतु व्यक्तिगत चिन्ह

2. बाएं/दाएं हाथ के अंगूठे और उंगलियों के निशान

(शिक्षित दावेदार के मामले में)

3. दो नमूना हस्ताक्षर।

2

4. दो फोटो

भवदीय

स्टेशन:

तिथि:

(दावेदार के हस्ताक्षर)

नाम और पता -----

पादटिप्पणी(फुटनोट): यह केवल वहीं लागू होता है जब मुख्यालय द्वारा भुगतान की आकांक्षा नहीं की गई है।

(मुख्यालय/विभाग के प्रयोग हेतु)

1. को आवश्यक कारवाई हेतु अग्रेषित किया जाता है। उपर्युक्त दिए गए विवरण का यथोचित सत्यापन कर लिया गया है।
2. श्री/श्रीमती/कुमारी का भविष्य निधि खाता संख्या है (जिसका सत्यापन उसको दिए गए वार्षिक विवरण से किया गया है)
3. उसकी मृत्यु दिनांक को हुई है। म्युनिसिपल प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र की इस मामले में आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसकी मृत्यु में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है।
4. अन्तिम फंड की कटौती उसके वेतन से माह को की गई थी जिसे इस कार्यालय के बिल संख्या दिनांक को रु. (रु. शब्दों में) कोष के कैश वाउचर संख्या द्वारा लिया गया था। कटौती की राशि रु. और अग्रिम रु. की वापसी के संदर्भ में वसूली की राशि है।
5. प्रमाणित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के तुरंत पहले 12 महीने के दौरान उसके सामान्य भविष्य निधि खाते से उसे न तो अस्थाई और न ही अंतिम निकासी के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी।

अथवा

प्रमाणित किया जाता है कि उसकी मृत्यु की तिथि से तुरंत पहले 12 महीने के दौरान उसके भविष्य निधि खाते से उसे अस्थाई / अन्तिम निकासी की स्वीकृति निम्न प्रकार से दी गई थी -

अग्रिम/निकासी की राशि

भुगतान की तिथि और स्थान

वाउचर संख्या

- 1.
- 2.
- 3.

6. प्रमाणित किया जाता है कि उसकी मृत्यु की तिथि से तुरंत पहले 12 महीनों के दौरान उसके भविष्य निधि खाते से इश्योरेंस प्रीमियम के भुगतान के लिए अथवा नई पालिसी खरीदने के लिए कोई रकम नहीं निकाली गई थी। निम्नलिखित रकम निकाली गई थी

पालिसी संख्या और

राशि

तिथि

वाउचर संख्या

कंपनी का नाम

7. यह प्रमाणित किया जाता है कि वसूली के लिए सरकार को बेबाकी देय है ।
निम्नलिखित बाकी

कार्यालय अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

नोट :- केवल सामान्य भविष्य निधि के मामले में प्रमाण पत्र संख्या 7 प्रस्तुत किया जाए ।